

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:- एन.एम. पहाड़िया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 53/2018

(RCMS No. 2018/00086)

उनवान:-

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर प्रार्थी

बनाम

1. रामवीर पुत्र जनक सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा
2. मुन्नालाल पुत्र जनक सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा
3. रामनरेश पुत्र कालीचरन जाति ठाकुर निवासी ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा
4. संजय पुत्र कालीचरन जाति ठाकुर निवासी ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा
5. सरिता पुत्री कालीचरन जाति ठाकुर निवासी ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0 सह0सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत।

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से:- श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

निर्णय दिनांक:- 13.08.2018

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 2228120/- रुपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओं के अभाव में नहीं बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये हैं। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय


(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर


लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नहीं करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटिस दिनांक 20.12.04 व 25.01.05, आदेश 12.04.05, डिक्री आदेश दिनांक 30.01.15 निष्पादन आदेश दिनांक 09.12.10, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 01.05.14, 12.04.14, 01.06.15, 30.12.15, 13.01.16, 29.2.16, 29.5.17 मांग के नोटिस, रहननामा की प्रति, नीलामी सूचना, जमाबन्दी सम्बत् 2060 से 2063, 2068 से 2071 व 2064-67 ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 2228120/- रुपये (जिसमें से अवधि पार असल 664062/-रुपये, ब्याज 1164976/-रुपये, द0ब्याज 247810/- रुपये वसूली व्यय 151272/-रुपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 569 रकवा 1 बीघा, ख0नं0 581 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 855 रकवा 3 बीघा, ख0नं0 1198 रकवा 2.05 बीघा, 1219 रकवा 1.01 बीघा, ख0नं0 1463 रकवा 2 बीघा कित्ता 6 रकवा 9 बीघा 7 विस्वा का 1/2 भाग व ख0नं0 1521 रकवा 3 बीघा का 1/2 भाग, ख0नं0 274 मि0 रकवा 2 बीघा का 1/2 भाग, ख0नं0 250 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 320 रकवा 3.10 बीघा


(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धीलपुर

किता 2 रकवा 5.10 बीघा पूर्ण भाग कुल किता 10 रकवा 12 बीघा 13 विस्वा बांके ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा, जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 2228120/- रुपये जमा नहीं करवाई गई है। तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 569 रकवा 1 बीघा, ख0नं0 581 रकवा 1 विस्वा, ख0नं0 855 रकवा 3 बीघा, ख0नं0 1198 रकवा 2.05 बीघा, 1219 रकवा 1.01 बीघा, ख0नं0 1463 रकवा 2 बीघा किता 6 रकवा 9 बीघा 7 विस्वा का 1/2 भाग व ख0नं0 1521 रकवा 3 बीघा का 1/2 भाग, ख0नं0 274 मि0 रकवा 2 बीघा का 1/2 भाग, ख0नं0 250 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 320 रकवा 3.10 बीघा किता 2 रकवा 5.10 बीघा पूर्ण भाग कुल किता 10 रकवा 12 बीघा 13 विस्वा बांके ग्राम गुनपुर तहसील राजाखेडा, को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नहीं बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नहीं करवाई और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित (Transfer) किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड)
जिला क्लरक तहसील धौलपुर
धौलपुर